

Office of Deputy Conservator of Forest, Jaipur (North)

Name of Project :- Construction of road from NH-8 KM stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura renwal) KM 0/00 to 13/00, Tehsil- Viratnagar, Dist.- Jaipur (Raj.)

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/144437/2021

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन के कारण प्रयोक्ता अभिकरण पर अधिरोपित की जाने वाली शास्ति का विवरण :-

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु 0.9885 हैक्टर वन भूमि में से वन संरक्षण (अधिनियम), 1980 के तहत ऑनलाईन प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व 0.084 हैक्टर वन भूमि पर सक्षम स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य कर वन संरक्षण (अधिनियम), 1980 का उल्लंघन किया गया है।

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार राज्य सरकार की जन उपयोगी परियोजनाओं हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण (अधिनियम), 1980 का उल्लंघन करने पर उल्लेखित क्षेत्र पर NPV राशि की 20 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में देय होगी।

क्र.स.	प्रस्तावित वन क्षेत्र है0 में	उल्लंघित वन क्षेत्र है0 में	एन.पी.वी. की दर	प्रस्तावित शास्ति की राशि
1	0.9885	0.084	957780.00	16090.704/- (0.084x0.2x957780)

Total Penal NPV Rupees = 16,090.704 Or say 16,091.00

नोट:- प्रस्तावित शास्ति की राशि को सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात् डिमाण्ड नोट में जोड़ दिया जायेगा।

Date:- 12-5-2022

Place:- Jaipur


(Sudeep Kaur)
(सुदीप कौर)
Deputy Conservator of Forests
उप वन संरक्षक
Jaipur (North)